सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 875 **23 Kartik, 1938 (S)**
Ranchi, Tuesday, 14th November, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

14th November, 2017

NOTIFICATION No-42/2017 State Tax (Rate)

S.O. No.- 129- Dated. 14th November, 2017-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand (Department of Commercial Taxes), No.2/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, *vide* S.O No-32, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(1) in the Schedule,

(i) for S. Nos. 8 and 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

“8	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	All goods, fresh or chilled

9	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	All goods [other than fresh or chilled] other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]";

(ii) S. Nos. 10,11,12,13,14,15,16,17 and the entries thereof shall be omitted;
(iii) for S. Nos. 21 and 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

"21	0304, 0306, 0307, 0308	All goods, fresh or chilled
22	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308	All goods [other than fresh or chilled] and other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]" ;

(iv) S. Nos. 23,24 and the entries thereof shall be omitted;
(v) after S. No. 30 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"30A	0504	All goods, fresh or chilled
30B	0504	All goods [other than fresh or chilled] other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]" ;

(vi) after S. No. 43 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"43A	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen, other than those put up

		in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]" ;

(vii) in S. No. 46, in column (3), for the words "fresh or chilled" the words "fresh or chilled, dried" shall be substituted;

(viii) after S. No. 46 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

"46A	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, frozen, whether or not sliced or in the form of pelletsother than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]
46B	08	Dried makhana, whether or not shelled or peeled [other than those put up in unit container and,- (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]";

(ix) in S. No. 77, in the entry in column(3),for the words "Flour of potatoes" the words "Flour, powder, flakes, granules or pellets of potatoes", shall be substituted;

(x) after S. No. 78 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"78A	1106 10 10	Guar meal" ;

(xi) after S. No. 87 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"87A	1210 10 00	Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets" ;

(xii) after S. No. 93 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"93A	1404 90	coconut shell, unworked";

	60	

(xiii) in S. No. 94, for the entry in column 3, the entry "Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery; Khandsari Sugar" shall be substituted;

(xiv) in S. No. 103, for the entry in column (3), the entry "Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solutions or containing added anti-caking or free flowing agents; sea water", shall be substituted;

(xv) after S. No. 103 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"103A	26	Uranium Ore Concentrate";

(xvi) after S. No. 136 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"136A	7113	Bangles of lac/ shellac";

(2) in the Explanation, in clause (ii), for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely: -

(b) The phrase "registered brand name" means, -

(A) a brand registered as on or after the 15th May 2017 under the Trade Marks Act, 1999 irrespective of whether or not the brand is subsequently deregistered;

(B) a brand registered as on or after the 15th May2017 under the Copyright Act, 1957(14 of 1957);

(C) a brand registered as on or after the 15th May2017 under any law for the time being in force in any other country.".

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner.

Note: - The principal notification No.2/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, *vide* S.O No-32, dated the 29th June, 2017 and last amended by Notification No. 35/2017-State Tax(Rate) dated 18th October, 2017 published in the Gazette of Jharkhand, *vide* S.O No- 100 , dated the 18th October, 2017.

वाणिज्यकर विभाग-

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2017

अधिसूचना सं0. 42/2017- राज्य कर (दर)

एस. ओ. - 129- दिनांक- 14 नवम्बर, 2017-- झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017(12 का 2017) की धारा 11 की उपधारा)1के तहत प्रदत्त शक्तियों (का प्रयोग करते हुएराज्य सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर झारखण्ड सरकार,वाणिज्य) कर विभाग (की अधिसूचना सं 02/2017 -राज्य कर (दर), तारीख 29 जून, 2017, जो झारखण्ड के राजपत्र, एस. ओ. 32 दिनांक 29/06/2017 में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्-:

उक्त अधिसूचना में, -

(1) सूची में,-

(i) क्रम संख्या 8 और 9 और उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा;-

“8	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	सभी सामान, ताजा या द्रुत शितित
9	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	सभी सामान, (ताजा या द्रुत शितित से भिन्न) उनसे भिन्न,जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क)जिनका कोई पंजी कृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी

		अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";

)ii (क्रम संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा ;

(iii) क्रम संख्या 21 और 22 और उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा;-

"21	0304, 0306, 0307, 0308	सभी सामान, ताजा या द्रुत शितित
22	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308	सभी सामान, (ताजा या द्रुत शितित से भिन्न) उनसे भिन्न,जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम परकिसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";

)iv (क्रम संख्या 23, 24 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;"

(v) क्रम संख्या 30 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतस्थापित की जाएगी:,यथा;-

“30क	0504	सभी सामान, ताजा या द्रुत शितित
30ख	0504	सभी सामान, (ताजा या द्रुत शितित से भिन्न) उनसे भिन्न,जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";

(vi) क्रम सख्या 43 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतस्थापित की जाएगी:, यथा;-

“43क	0710	वनस्पतियां बिना पकाई गई या भापन या पानी) में उबाल कर पकाई गई(, हिम शीतित उनसे भिन्न,जिन्हें किसी यूनिट कंटेनरमें रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उसपर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";

(vii) क्रम संख्या 46 केस्तंभ (3) में, शब्दों “ताजा, द्रुतशितित” के स्थान पर शब्दों “ताजा, या द्रुतशितित,शुष्क” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) क्रम सख्या 46 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतस्थापित की जाएगी:,यथा;-

“46 क	0714	मेनिओक, अरारूट, संलेप, जेरुसलम पाथीचक, शकरकंद और वैसी ही जड़ें और कंद, जिनमें स्टार्च और इनूलिन की मात्रा अधिक है, हिम शीतित, चाहे स्लाइस किए गए हैं या नहीं या गुटिका रूप में हैं उनसे भिन्न,जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क)जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]
46 ख	08	शुष्कित मखाना, चाहे कवच युक्त या छिलका रहित है या नहीं उनसे भिन्न,जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क)जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ";

(ix) क्रम संख्या 77 केस्तंभ (3) में, शब्दों “आलूका आटा” के स्थान पर शब्दों “आलूका आटा, अवचूर्ण, चूर्ण पत्र या दलित”कोप्रतिस्थापितकिया जाएगा;

(x) क्रम सख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतस्थापित की जाएगी:,यथा;-

“78क	1106 10 10	ग्वार अवचूर्ण”;

(xi) क्रम सख्या 87 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतस्थापित की जाएगी:,यथा;-

“87क	1210 10 00	हाप कोन, जो दलित, चूर्णित या गुटिका के रूप में नहीं है”;

(xii) क्रम सख्या 93 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतस्थापित की जाएगी:, यथा;-

“93क	1404 90 60	नारियल कवच, अकर्मित”;

(xiii) क्रम संख्या 94 केस्तंभ (3) की प्रविष्टि, के स्थान पर, प्रविष्टि “सभी प्रकार के गुड़, जिसके अंतर्गत गन्ना गुड़ (गुड़), पालमिरा गुड़ सम्मिलित है; खांडसारी चीनी” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 103 केस्तंभ (3) की प्रविष्टि, के स्थान पर, प्रविष्टि “नमक (टेबल नमक और विकृत नमकऔर शुद्ध सोडियम क्लोराइड (, चाहे जलीय घोल या नहीं,या एंटीटकेक या मुफ्त फ्लोइंग एजें- युक्त ; समुद्र जल” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xv) क्रम सख्या 103 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, यथा;-

“103क	26	यूरेनियम ओर कॉन्सेंट्रेट”;

(xvi) क्रम सख्या 136 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, यथा;-

“136क	7113	लाख या शलक लाख की चूड़ियाँ”;

(2) स्पष्टीकरण में,खंड (ii)में उपखंडके स्थान पर(ख) निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(ख)“पंजीकृत ब्रांड नामवाक्यांश का अर्थ है ", -

ट्रेड मार्क एक्ट (क), को या उसके बाद 2017 मई 15 के तहत 1999 पंजीकृत एक ब्रांड, चाहे ब्रांड को बाद में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या नहीं।

कॉपीराइट अधिन (ख)ियम, 1957(14 का 1957) के तहत को या 2017 मई 15 बाद उसके पंजीकृत एक ब्रांड;

किसी भी अन्य देश में किसी भी कानून के तहत (ग)15 मई, 2017 को या उसके बाद पंजीकृत एक ब्रांड"

2. यह अधिसूचना 15, नवंबर 2017 से प्रवृत होगी।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

टिप्पण2 0प्रधान अधिसूचना सं :/2017- राज्य कर (दर), तारीख 29 जून, 2017, एस. ओ. 32 दिनांक ,जून 29 2017 झारखण्ड के राजपत्र, द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन झारखण्ड के राजपत्र, अधिसूचना सं. 35/2017(दर) करराज्य -, तारीख 18 अक्टूबर,201 7 एस. ओ. 100 दिनांक 18 अक्तूबर ,2017 द्वारा किया गया था ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 875-- 50.